ISSN : 2347-7660 (Print) | ISSN : 2454-1818 (Online)

सभ्य समाज की भूमिका

डॉ0 गीता यादव,

अध्यक्ष–राजनीति विज्ञान विभाग
तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर (उ.प्र.)

हाल के वर्षों में 'नागर समाज' शब्द राजनीतिक, प्रशासनिक और बौद्धिक क्षेत्रों में काफी प्रचलित हो गया है; परन्तु इसका इतिहास प्राचीन समय से प्रचलित है। परम्परागत रूप से 'राज्य' और 'नागर समाज' दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे के पर्यायवाची थे और इनका प्रयोग एक दूसरे के लिए कर लिया जाता था। विगत कुछ दशकों से राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक सन्दर्भों में सभ्य समाज अथवा सिविल सोसायटी शब्द प्रचलन में है। व्यापक अर्थ में सभ्य समाज ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक दूसरे के कल्याण हेतु समग्र दृष्टिकोण से कार्य करते हैं। 'सरकार' और प्रशासन (बाजार) के प्रभावी संचालन हेतु व्यक्तियों के लोकतान्त्रिक समूह को सभ्य समाज कहते हैं।

सभ्य समाज की यह आधुनिक अवधारणा अट्ठारहवीं सदी से पूर्व इससे भिन्न थी। प्राचीन तथा यूनानी दार्शनिकों ने सभ्य समाज की दिशा में पर्याप्त चिन्तन प्रस्तुत किया था जिसमें सिसरो अग्रणी माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक जी0डब्लू0 हीगल ने 'राज्य' तथा 'नागर समाज' के बीच अन्तर किया और उनका पृथक–पृथक विश्लेषण किया। उन्नीसवीं सदी में कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजेन्स और बीसवीं सदी में एन्टोनियो ग्राम्सकी ने इस विचार को आगे बढ़ाया। इन्हीं के समय विश्व में शीत युद्ध के कारण लोकतन्त्र के प्रति उत्पन्न हुई चेतना के परिप्रेक्ष्य में 'सभ्य समाज' की अवधारणा फली–फूली और पोषित हुई। उदारीकरण और निजीकरण की प्रवृत्तियों ने सभ्य समाज के चिन्तन को बढ़ावा दिया है। एक बार मैक्सबेवर ने राजनीतिक दलों को 'लोकतंत्र के बच्चे' कहा था। आज के युग में कहा जा सकता है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए 'सभ्य समाज' सर्वाधिक उपयुक्त 'बालक' है। मैकाइवर ने तो 'समाज' शब्द का प्रयोग सामाजिक सम्बन्धों के अध्ययन के लिए किया, जिसका कालान्तर में 'राज्य' नाम की संस्था के रूप में उदय हुआ। हम लोग समाज में रहते हैं। मुख्यतः समाज में व्यक्तियों का संगठित समूह, अपनत्व की भावना, उद्देश्यपूर्ण संगठित मनुष्यों द्वारा प्रयास तथा सांस्कृतिक मूल्यों से सम्बद्ध मानवीय समुदाय को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात् राज्य के अतिरिक्त लोककल्याण हेतु बने विभिन्न संघ व समुदाय सभ्य समाज की श्रेणी में आते हैं। राज्य और जन व्यवस्था (बाजार) में सदैव सहसम्बन्ध तनावपूर्ण होते हैं। सभ्य समाज विभिन्न संघों के रूप में इन दोनों के बीच में अपना सामाजिक स्थान रखता है जो वैधानिकता के दायरे में स्वतंत्रता प्राप्त स्वसंगठित समूह होता है। विविधता स्वैच्छिक प्रयास, सहनशीलता, त्याग, आदर तथा सर्वसम्मति मिलकर सभ्य समाज का निर्माण करते हैं। 'सभ्य समाज' रूपी छाते के अंतर्गत युवा संगठन, कृषक संघ, श्रमिक संघ, कार्मिक संघ, स्वयंसेवी संस्थाएँ, जातीय संगठन, सहकारी समितियाँ, राजनीतिक पार्टियाँ, धार्मिक संगठन, महिला संगठन, व्यापार संघ धर्म तथा समाज सुधार आन्दोलन, गैर सरकारी संस्थाएँ आदि सम्मिलित हैं। वास्तव में परिवार सभ्य समाज की एक सशक्त इकाई है। जिस प्रकार 'परिवार' अपने विरुद्ध गलत कार्यों

को मूकदर्शक बनकर नहीं देखते, बल्कि पारिवारिक व सामाजिक हितों को ध्यान में रखकर व्यवस्था पर नियंत्रण करते हैं। उसी प्रकार 'सभ्य समाज' शासन सत्ता पर नियंत्रण का कार्य करता है। इसे फाइनर ने 'अज्ञात साम्राज्य' की संज्ञा दी है। इसे राज्य द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यह राज्य एवं अर्थव्यवस्था के बाहर विकसित होता है। सिविल समाज वह सामाजिक निवास है जिसे पूँजी निर्माण एवं बाजार व्यवस्था से भिन्न माना जाता है। निजी स्वतंत्रता के साथ ही सामाजिक भागीदारी कर सार्वजनिक भलाई, आम सहमति, एकात्मकता तथा सामूहिकता है अर्थात् परिवार, राज्य और वाणिज्य की दुनिया के बीच स्थित संगठन जो बिना किसी स्वार्थ के काम करता हो।

सम्प्रति सभ्य समाज (स्वयंसेवी, स्वैच्छिक तथा अवैतनिक गैर सरकारी संगठन) कल्याण एवं विकास प्रशासन में अपेक्षित भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। भारत जैसे देश में नागरिकों की संगठित पहल अन्य रूपों में अभिव्यक्त होती है– जैसे जन आन्दोलन एवं जन संघर्ष। महात्मा गाँधी, विवेकानन्द, मदर टेरेसा जैसे लोगों ने समय–समय पर ऐसे आन्दोलनों को प्रेरणा प्रदान की है। बाबा आम्टे, सुन्दरलाल बहुगुणा, पाण्डुरंग शास्त्री, बाबा रामदेव और अन्ना हजारे के नेतृत्व में कुछ ऐसे ही जनांदोलन आधुनिक भारत में सभ्य समाज (सिविल सोसायटी) की उभरती भूमिका का नेतृत्व करते हैं। समाज में राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक चेतना उत्पन्न करना जिससे लोग संगठित व गतिशील हों। प्रशासनिक नीतियों, कानूनों तथा योजनाओं के लिए प्रशासन तंत्र को उत्तरदायी (जवाबदेह), संवेदनशील तथा पारदर्शितापूर्ण कार्यों को बढ़ावा देना। जनहित, मानवीय कल्याण तथा विश्व शान्ति तथा भाईचारे की भावना हेतु नागरिक जीवन में राज्य व सरकार के निरंकुश व्यवहार को नियंत्रित करना। नागरिकों के सूचना प्राप्त करने के अधिकार के साथ नागरिक चार्टर (अधिकार पत्र) को मान्यता दिलाना।

भारत सहित बहुसंख्यक विकासशील देशों की सामाजिक व्यवस्था संक्रमणकाल से गुजर रही है, जहाँ एक साथ नई–पुरानी परम्पराएँ एवं प्रगतियाँ परस्पर विरोधी होने के कारण संघर्षों से घिरी हैं। कटु सत्य है कि आज भी भारतीय समाज का एक बड़ा भाग सभ्य तथा संस्कारित कहलाने के योग्य नहीं है, जो नित्य नई अनावश्यक समस्याएँ उत्पन्न करता है। आये दिन मेला, त्योहार, समारोह, विवाह, रैली या बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा–कचरा छोड़ना। सरकार पर दबाव डालने हेतु सार्वजनिक सम्पत्ति का दुरुपयोग, पुलिस पर पथराव कर वाह–वाही लूटना, पानी की कमी होने पर मटके फोड़कर प्रदर्शन करना। सरकारी कार्यालयों तथा गृहों से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक पानी एवं बिजली निरर्थक रूप से बर्बाद करना। गरीब से लेकर अमीर तक तथा निरक्षर से लेकर साक्षर तक अधिकांशतः सरकारी भूमि का अतिक्रमण करते हैं। वह चाहे घर के आगे सड़क पर बागवानी से लेकर प्लॉट हथियाने या अवैध कब्जे कुछ भी हो सकते हैं। व्यस्ततम् मार्ग पर रेलवे फाटक बन्द मिलने पर दोनों तरफ से वाहन आमने–सामने खड़े होकर रास्ता जाम करने तक की अनेकानेक अव्यवस्थाएँ हैं।

हनुमानजी, गणेशजी, दुर्गाजी, शिवजी या अन्य देवी–देवताओं के प्रकट होने के नाम पर 51 रूपये से 1001 रूपये तक चन्दे माँगना, पोस्ट कार्ड लिख–लिखकर संदेश पाने वाले को यह बात दुहराने की प्रेरणा दी जाती है। आजकल मोबाइल फोन पर मैसेज के द्वारा यह प्रक्रिया बेरोक–टोक निरन्तर कार्य कर रही है। इन्हीं लोगों के द्वारा अंधविश्वास, नजर उतारना और दूसरे के यहाँ चीजें फेंककर पड़ोसी को संकट में डालने की अपेक्षा करना जैसी क्रिया से लेकर विवाह व अन्य समारोहों में अन्न (भोजन सामग्री)

का दुरुपयोग करना शामिल है। भ्रष्ट, अपराधी तथा स्वार्थों की वोट डालकर चुनना और उनसे नैतिकता, प्रतिबद्धता व राष्ट्रप्रेम की अपेक्षा करने के कारण किसी भी कार्य को निर्धारित समय से अधिक देरी की जाती है, जिसे 'भारतीय समय' का नाम दिया जाता है। सचिवालयों, निदेशालयों तथा अन्य कार्यालयों के बाहर साहब (नौकरशाही) के सामने द्वारपाल सैल्यूट करता है तथा साहब (नौकरशाही) बिना प्रत्युत्तर आगे चल देते हैं। ऐसा महसूस होता है कि साहब के संस्कार द्वारपाल जितने भी नहीं हैं। संस्कारों की कमी निर्धन से लेकर उच्च सम्पन्न व्यक्तियों को संस्थाओं या मित्रों से लिये गये ऋण या उधार को चुकाने में आना–कानी करने का प्रमुख कारण है। अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षक एवं प्रेरक शिवखेड़ा कहते हैं– ''कोई भी देश कभी चोर–उचक्कों से बर्बाद नहीं होता, बल्कि जब भी शरीफ आदमी कायर और निकम्मा हो जाता है तभी समाज बर्बाद होता है ... यदि आपके पड़ोसी के घर अत्याचार हो रहा है तथा आपको नींद आ जाती है तो अगला नम्बर आपका है ... बेवकूफी की हद तक की सहनशीलता मानवता नहीं बल्कि कायरता है .... समाज अपने नागरिकों के चरित्र पर ज्यादा निर्भर करता है बजाय उनकी बुद्धिमत्ता पर ... जिस नेता को हम अपने बच्चों के संरक्षक बनाने पर भरोसा नहीं कर सकते, उसे हम देश का संरक्षक क्यों बना देते हैं ... यदि आपके पास समस्या का समाधान नहीं है तो आप स्वयं ही समस्या हैं।'' वास्तव में भारतीय समाज के समक्ष चुनौतियों का भंडार है, क्योंकि सामाजिक स्तर पर अकर्मण्यता, झूठा राष्ट्र प्रेम तथा झूठी आस्तिकता और ढोंगी स्वभाव राजनीतिक समाज के द्वारा प्राकृतिक समाज में बढ़ने के कारण सभ्य समाज की सकारात्मक भूमिका में बाधक बनता जा रहा है। किसी सामान्य उद्देश्य के लिए संगठित मनुष्यों के समुदाय को समाज कहते हैं। मैकाइवर ने इसे राज्य का नाम दिया, जो पहले समाज का अभिन्न अंग बना, किन्तु धीरे–धीरे समाज पर छा गया और राज्य सर्वोपरि संस्था बन गई। समयानुसार समाजवादी और लोककल्याणकारी राज्य के सिद्धान्त ने इसके महत्व को और बढ़ा दिया तब प्रशासकीय राज्य मशीन की भाँति नौकरशाही के माध्यम से कार्य करने लगा। लोकतन्त्र के नाम पर निर्वाचित सरकारें प्रशासकीय और राजनीतिक शक्तियों पर एकाधिकार कर लीं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुलवादी विचारधारा ने राज्य पर प्रहार किया और अपने–अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र और राज्य के समकक्ष अनेक समुदाय बन गये। बहुलवादियों ने राज्य के समकक्ष अन्य समुदायों को आवश्यक एवं प्राकृतिक रूप से स्वीकार किया है। लास्की ने लिखा है कि – ''ये समुदाय राज्य से किसी भी प्रकार कम नहीं हैं और यदि समाज का संगठन संघीय है तो शक्ति की व्यवस्था भी संघीय होती है।'' बार्कर ने समाज की इकाई व्यक्ति को न मानकर समुदाय को माना। इसलिए राज्य को समुदाय की महत्ता स्वीकार करनी चाहिए। मध्ययुगीन गिल्ड व्यवस्था से प्रेरणा प्राप्त करते हुए बहुलवाद की धारणा है कि आधुनिक काल में भी समाज व्यवस्था का आधार स्वतन्त्र रूप से कार्य करने वाले समुदायों को बनाया जाय, क्योंकि इनका जन्म प्राकृतिक है और स्वतः स्फूर्ति से कार्य करते हैं, राज्य की कठोर पद्धति/आज्ञाओं के कारण नहीं। इस प्रकार बहुलवाद स्वस्थ प्रजातान्त्रिक मानवतावादी प्रतिक्रिया है, जो स्वतंत्रता और उदारवाद पर आधारित है, जिसने आगे चलकर 'सिविल सोसायटी आन्दोलन' को प्रेरणा दी।

आवश्यकता है 'सभ्य समाज' की अवधारणा को व्यापक बनाने की, जिससे समस्त मानवीय संगठनों के माध्यम से राज्य, बाजार, प्रशासन, लोक कल्याण सम्बन्धी समस्याओं तथा अन्य असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण किया जा सके। सभ्य समाज का विचार ऐसे उदारवादी एवं संवेदनशील समाज की कल्पना करती है, जो परिपक्व तथा प्रतिबद्धता से पूर्ण हो। 'सभ्य समाज' तृतीय क्षेत्र है, क्योंकि प्रथम क्षेत्र 'सरकार'

तथा द्वितीय क्षेत्र बाजार अर्थात प्राकृतिक समाज के प्रभावी संचालन हेतु व्यक्तियों के ऐसे संगठित समूहों की आवश्यकता है, जो लोकतान्त्रिक ढंग से स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करते हुए इन दोनों क्षेत्रों पर नियंत्रण एवं संतुलन का कार्य कर सके। सभ्य समाज (तृतीय क्षेत्र) पारस्परिक सम्बद्धता सामान्य कार्य पद्धति और नेटवर्किंग के माध्यम से दो अथवा उससे अधिक व्यक्तियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं। लोकतन्त्र स्वाभाविक रूप से ऐसे सहयोगात्मक आचरण को प्रोत्साहित करता है। भारतीय संविधान के अनु0 19(1) में स्पष्ट लिखा है – बोलने और विचारों को अभिव्यक्त करने और एसोसिएशनें और यूनियनें बनाने की स्वतन्त्रता का अधिकार अर्थात भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों में से एक मूल अधिकार है, जो सभ्य सामाजिक संगठन और सामुदायिक संगठन बनाने के लिए निरन्तर प्रोत्साहित करता है।

वर्तमान आर्थिक विकास के मॉडल में स्वैच्छिक/सिविल सोसायटी को न्यायसंगत, संधारणीय और समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक प्रमुख और महत्वपूर्ण खिलाड़ी माना गया है। विकास के राज्य और बाजार दोनों मॉडलों को अपर्याप्त माना जाता है। यह महसूस किया जा रहा है कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में 'सभ्य समाज' को सक्रिय रूप से भाग लेने की आवश्यकता है। उन्हें अब राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रगति में बराबर का भागीदार माना जाता है। 'सभ्य समाज' राज्य और प्राकृतिक समाज दोनों के रुढ़िगत स्थान से बाहर होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, लेकिन उनमें इन दोनों संस्थाओं को नागरिकों की आवश्यकताओं और जागरूक बनाने के लिए उनसे बातचीत, उन्हें मनाने और उनके सामाजिक इच्छाओं के अनुरूप दबाव डालने की क्षमता का होना आवश्यक है। सभ्य समाज ने पिछले कुछ वर्षों में गाँवों में छोटे पुस्तकालय, क्लबों और स्कूलों से, छोटे कस्बों में स्वयंसेवी संस्थाएं और शिक्षा संस्थाओं तक, महानगरों में काम करने वाली बड़ी गैर सरकारी इकाइयों और वहाँ से आर्थिक रूप से सुदृढ़ निगम प्रतिष्ठानों तक लंबी छलांग लगाई है। 'सभ्य समाज' ने प्रारम्भिक शिक्षा, ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विस्तार, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या और शहरी विकास के मुद्दों जैसे क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों को पूरा करने में सहयोग किया है। अर्थव्यवस्था की संवृद्धि और वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप हमारे देश में 'सभ्य समाज' तेजी से विस्तार के मार्ग पर बढ़ रहा प्रतीत होता है। वह पेय जल की आपूर्ति, भू–संरक्षण, बच्चों की देखभाल, लैंगिक समानता, कौशल प्रशिक्षण, उद्यमशीलता का विकास, भ्रष्टाचार के विरूद्ध, सिटीजन चार्टर (अधिकार पत्र), सरकारी विभागों के कार्यशैली की पारदर्शिता आदि मुद्दों पर सकारात्मक योगदान देने का प्रयास कर रहा है। इन संगठनों को अपनी अधिक संवृद्धि के लिए समाज में समर्थन और सहमति का वातावरण तैयार कर समष्टि के रूप में कार्य करना चाहिए। आधुनिक राजवैज्ञानिक आंटोनियो ग्राम्सी ने राज्य को 'बल' और 'सहमति' का मिश्रण माना है जिसमें राजनीतिक समाज 'बल' का और नागरिक समाज 'सहमति' का प्रतीक है। 'सभ्य समाज' राज्य और उसकी शक्ति के बिना नागरिक परस्पर संगठित होकर स्वप्रेरणा और सौहार्द्र से उन विकासात्मक कार्यों को करें जिसे आम तौर से राज्य और उनका अभिकर्ता प्रशासन करता है। अर्थात् सत्ता के बजाय सहमति और आदेश के बजाय आत्मनियंत्रण से कार्य करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। अन्तर्राष्ट्रीय बालक केन्द्र, पेरिस के महानिदेशक एतीने बरथेट का कहना है – ''मानव स्वभावतः ही किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति से संतुष्टि प्राप्त करता है। अतः लोगों की विचारधारा परिवर्तित करने से पूर्व उन्हें यह समझना आवश्यक है कि परिवर्तन से उन्हें क्या लाभ प्राप्त हो सकता है।'' इसलिए लोकतंत्र की रीढ़ को मजबूती प्रदान करने के लिए सभ्य समाज को शासन और नागरिक के

ISSN : 2347-7660 (Print) | ISSN : 2454-1818 (Online)

बीच बढ़ती हुई खाईं को पाटने का दायित्व स्वयं सँभालना उचित और अपरिहार्य है।

संदर्भ

1— डॉ0 सुरेन्द्र कटारिया, डॉ0 शशि इन्दुलिया, लोक प्रशासन, मालिक एण्ड कम्पनी, जयपुर, 2004—05.

2— हॉब्स—'लेवायथन' (Lviathan)

3— एम0 लक्ष्मीकान्त, लोक प्रशासन, टाटा मैग्रा हिल कं0, नई दिल्ली, 2006.

4— रूसो—'सामाजिक अनुबन्ध' (Social Contract), 1762.

5— डॉ0 बी0एल0 फड़िया, लोक प्रशासन, साहित्य भवन, 2011.

6— लॉक—'शासन पर दो निबन्ध' (Two Treatises on Government).